प्रेस नोट
दिनांक - 24.10.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा खौलता तेल फेंककर घायल करके के 02 वांछित आरोपी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 421/24 धारा 191(2), 118(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. पाटनदीन पुत्र हीरा लाल व 02. प्रदीप पुत्र पाटनदीन को शाहगंज में उनकी दुकान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 20.12.24 को वादी विजयपाल पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम-खुर्दाबाद जफरापुर, थाना नवाबगंज, जिला गोण्डा का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि वादी और उनके चाचा अनन्तराम विपक्षी पाटनदीन की दुकान पर चाय नाश्ता करने गये थे तभी खाने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर वादी और विपक्षी पाटनदीन में विवाद हो गया, जिसमें विपक्षी पाटनदीन और अन्य लोगों द्वारा वादी व उनके चाचा को भद्दी -2 गाली देने लगे और मना करने पर विपक्षीगण द्वारा जान से मारने की नीयत से कढ़ाई के खौलते तोल को वादी व उनके चाचा के ऊपर फेंकने लगे, जिससे दोनो गंभीर रूप से झुलस गये। वादी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 24.10.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त 01. पाटनदीन पुत्र हीरा लाल व 02. प्रदीप पुत्र पाटनदीन को शाहगंज में उनकी दुकान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. पाटनदीन पुत्र हीरा लाल
02. प्रदीप पुत्र पाटनदीन निवासीगण शाहगंज जफरा पुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0स0- 421/24 धारा 191(2), 118(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-
01. उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी मय टीम
02. कां0 जितेन्द्र कुमार
03. कां0 रितेश खरवार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 24.10.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्या की नीयत से अपहरण करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 53,000/- 53,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.11.2011 को थाना कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत वादी दूलमदास पुत्र रामभरोसे नि0 मज्जीपुरवा मौजा सरैया (बनगाँव) द्वारा तहरीर दी गई कि उसने अपनी पुत्री की शादी दीपनरायन पुत्र गिरधारी नि0 वीरपुर थाना कटरा बाजार गोण्डा के साथ की थी, जो उनकी पुत्री को लेकर नहीं गये। जिसके संबंध में दहेज प्रथा का मुकदमा लिखवाया गया। उसी की रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी की पुत्री को घर से जबरदस्ती हत्या करने की नीयत से ले गये । प्राप्त तहरीर के सम्बन्ध में थाना कटरा बाजार पर मु0अ0सं0- 367/2011, धारा 364,506 भादवि नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था । जिसमें कटरा बाजार पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण 01. गिरधारी लाल व 02. दीपनरायन के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 24.11.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.10.2025 को थाना कटरा बाजार पर पंजीकृत अपहरण संबंधी अपराध में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना कटरा बाजार के पैरोकार हे0कां0 सुनील शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 तृतीय, गोण्डा महोदय श्री राजेश कुमार (तृतीय) द्वारा अभियुक्तगण 01. गिरधारी लाल व 02. दीपनरायन को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 53,000/- 53,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

01. गिरधारी लाल पुत्र भगोले नि0 वीरपुर थाना कटरा बाजार गोण्डा ।
02. दीपनरायन पुत्र गिरधारी नि0 वीरपुर थाना कटरा बाजार गोण्डा ।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 367/2011, धारा 364,506 भादवि थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।